भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5553
दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कल्याण

5553. श्री हेमन्त पाटिलः
डॉ॰ अमर सिंहः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ती जिम्मेदारियों और काम की अपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें अभी भी बहुत कम मानदेय का भुगतान किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करने के लिए आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी डब्ल्यूसीडी योजनाओं के तहत कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों के लिए किसी विनियमन कार्यक्रम पर विचार/लागू कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) 2014 से लेकर अब तक आंगनवाड़ियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) तथा (ख) : अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत् आंगनवाड़ी सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की स्थानीय समुदाय से "अवैतनिक कर्मी" के रूप में परिकल्पना करती हैं जो बालकों की देखरेख और विकास के क्षेत्र में, अंशकालिक आधार पर, अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) का मानदेय 3000 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2250/-रूपये से बढ़ाकर 3500/-रूपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500/-रूपये से बढ़ाकर 2250/-रूपये कर दिया है तथा 01 अक्तूबर, 2018 से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250/-रूपये प्रतिमाह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन शुरू किया है। साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस-सीएएस का प्रयोग करने के लिए 500/-रूपये प्रतिमाह का भी भुगतान किया जाता है।

समय-समय पर उनको दिए गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय दे रहे हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए अतिरिक्त मानदेय का ब्योरा अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट है।

(ग) तथा (घ) : आंगनवाड़ी सेवाओं (अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का नियमित करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। साथ ही, अवैतनिक कर्मी होने के नाते इन पदाधिकारियों को "सरकारी कर्मचारी/नियमित कर्मचारी" के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता अथवा सरकारी कर्मचारियों को देय लाभ नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 की सिविल अपील संख्या.4953-4957 कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम अमीरबी एवं अन्य में अपने 07.12.2006 के निर्णय में यह कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं कोई सिविल पद धारक नहीं होती हैं । स्कीम में कैज्युअल् लेबरर्स नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) : आंगनवाड़ी सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 से दी गई निधियों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में निर्दिष्ट है।

*****

अनुलग्नक-I

'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कल्याण' विषय पर श्री हेमन्त पाटिल तथा डॉ॰ अमर सिंह द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों से आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाडी सहायिकाओं को दिए गए अतिरिक्त मानदेय को दर्शाने वाली विवरणी

(30.06.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रूपये में.)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू)	आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच)
1.	अंडमान और निकोबार	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	1200	700
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	750	375
6.	चंडीगढ़	2000	1000
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादर नागर हवेली	1000	600
9.	दमन और दीव	1000	600
10.	दिल्ली	6678	3339
11.	गोवा	3062-11937*	3000-6000*
12.	गुजरात	3300	1700
13.	हरियाणा	7286-8429*	4215
14.	हिमाचल प्रदेश	1750	900
15.	जम्मू और कश्मीर	600	340
16.	झारखंड	1400	700
17.	कर्नाटक	5000	2500
18.	केरल	2000	2000
19.	लक्षद्वीप	3000	2000
20.	मध्य प्रदेश	7000	3500
21.	महाराष्ट्र	2000	1000
22.	मणिपुर	100	50
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	ओडिशा	1000	500
25.	पुद्दुचेरी	600	300
26.	पंजाब	2600	1300
27.	राजस्थान	1724-1736*	1065
28.	सिक्किम	2225	1500
29.	उत्तराखंड	3000	1500
30.	पश्चिम बंगाल	1300	1300
31.	उत्तर प्रदेश	1000	500
32.	नागालैंड	शून्य	शून्य
33.	मिजोरम	294-306*	150
34.	तमिलनाडु	6750 (इसमें वेतन-2500, ग्रेडवेतन-500, और महंगाई भत्ता—3750 शामिल हैं)	4275 (इसमें वेतन-1500, ग्रेड वेतन-400, और महंगाई भत्ता-2375 शामिल हैं)
35.	तेलंगाना	10500	6000
36.	त्रिपुरा	2865	1924

* योग्यता और/अथवा सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित

अनुलग्नक-**II**

'आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का कल्याण' विषय पर श्री हेमन्त पाटिल तथा डॉ॰ अमर सिंह द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर के भाग (ड.) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत विगत चार वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य), एसएनपी आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण, पूरक पोषण कार्यक्रम और प्रशिक्षण निमित राज्य-वार निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाली समेकित विवरणी

(रूपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2014-15** निर्मुक्त निधि	**2015-16** निर्मुक्त निधि	**2016-17** निर्मुक्त निधि	**2017-18** निर्मुक्त निधि	**2018-19** निर्मुक्त निधि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	आंध्र प्रदेश	99446.78	68818.48	56387.46	58474.18	71988.53
2	बिहार	116266.84	102372.56	98099.36	92217.01	116848.70
3	छत्तीसगढ	51703.52	51151.54	41939.90	56762.73	54868.36
4	गोवा	2617.25	1228.04	1067.70	1649.60	1660.28
5	गुजरात	48886.15	64185.05	69417.36	62275.13	63148.37
6	हरियाणा	31158.68	16081.19	20871.79	20914.78	21131.73
7	हिमाचल प्रदेश	17184.09	19507.32	23696.07	21612.57	31881.17
8	जम्मू और कश्मीर	26031.19	27362.65	26732.11	19328.24	37406.56
9	झारखंड	46904.30	46217.72	48163.54	42081.45	51573.37
10	कर्नाटक	82856.77	96394.53	53686.59	92834.76	91901.57
11	केरल	24726.35	28554.27	34357.05	32460.32	31092.42
12	मध्य प्रदेश	122544.60	108673.52	110506.46	116645.68	117552.92
13	महाराष्ट्र	90781.88	104166.66	105660.17	102957.15	166902.38
14	ओडिशा	87511.73	65643.69	72497.49	95323.96	79544.95
15	पंजाब	25893.06	13689.39	16982.50	20168.46	17631.87
16	राजस्थान	73992.88	49851.78	62397.70	67542.98	66618.80
17	तमिलनाडु	67902.29	63744.93	47085.82	49336.98	65197.17
18	उत्तराखंड	20165.67	35710.06	21399.62	27990.11	203284.91
19	उत्तर प्रदेश	272553.08	281398.92	278089.75	215246.75	32798.93
20	पश्चिम बंगाल	97578.85	79465.80	66563.30	99426.41	125775.06
21	तेलंगाना	46057.10	37918.23	29877.27	38468.27	44681.12
22	दिल्ली	17855.94	13775.25	14168.00	10868.44	9096.33
23	पुद्दुचेरी	1275.34	1673.27	2299.22	1455.40	472.38
24	अंडमान और निकोबार	891.78	1421.03	1207.51	1295.81	1291.31
25	चंडीगढ़	996.18	1420.25	762.19	1077.47	1416.88
26	दादर और नागर हवेली	281.31	210.97	569.61	323.11	534.55
27	दमन और दीव	195.77	133.55	307.96	279.45	272.33
28	लक्षद्वीप	138.16	155.91	146.95	165.31	348.31
29	अरुणाचल प्रदेश	15557.38	12923.23	11346.05	14588.50	12389.79
30	असम	103517.50	92972.20	64397.66	70237.54	83867.16
31	मणिपुर	14929.58	10267.27	9998.54	17647.46	16856.60
32	मेघालय	14357.78	12418.60	19135.66	19864.97	17661.64
33	मिजोरम	5695.57	5371.93	4666.49	6174.29	4465.18
34	नागालैंड	12202.63	8796.00	15149.57	16652.36	12138.78
35	सिक्किम	2998.60	2022.73	1625.01	1983.22	2003.53
36	त्रिपुरा	14074.26	18194.62	11710.57	13101.10	18714.14
	कुल	**1657730.84**	**1543893.14**	**1442970.00**	**1509431.95**	**1675018.08**

******